

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2022—चैत्र 10, शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. एफ 2-6-2022-लोसे-पी.एस.जी. 05.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएँ (1)	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम (2)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (3)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (4)	प्रथम अपील के निराकरण की गई निश्चित की समय-सीमा (5)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (6)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (7)
5.40	विकास आयोजना अनुमोदन (औद्योगिक प्रयोजन की भूमि).	जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	30 कार्य दिवस	अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	07 कार्य दिवस	आयुक्त-सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	मध्यप्रदेश

2. राज्य सरकार एतद्वारा निम्न सेवा—

5.40 विकास आयोजना अनुमोदन (औद्योगिक प्रयोजन की भूमि) को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत माननीय अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.